

पेन्शन के लिए आवेदन-पत्र

साधारण १५ अक्टूबर तिकों तक सभी संसदीय विभागों के लिए पेन्शन की अधिकारी अथवा अधिकारी की विभागीय प्रशासक को १५ अक्टूबर की १२०० बजे समाप्तीकरण के लिए आवेदन किया जाना।

[देखिए राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेन्शन) अधिनियम, 1956 की धारा 4-क]

प्रेषक:—

श्री/श्रीमती/कुमारी

भूतपूर्व राजस्थान विधान सभा सदस्य/सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/अस्थाई संसद (यहां यह उल्लेख कीजिये कि पिछली बार किस सभा के सदस्य थे)।

नियम (2) के परन्तुक के अन्तर्गत

श्री/श्रीमती/कुमारी

मेवा में,

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय:—राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेन्शन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेन्शन मंजूर की जाना।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत मुझे/श्री/श्रीमती/कुमारी को निम्नलिखित अवधि में का सदस्य रहने के कारण पेन्शन पाने का हक है:—

(एक) राजस्थान विधान सभा का सदस्य.....सेतक

(दो) भूतपूर्व अजमेर राज्य की विधान सभासेतक

(तीन) राज्य सभा का सदस्यसेतक

(चार) लोक सभा का सदस्यसेतक

2. अनुरोध है कि मुझे/श्री/श्रीमती/कुमारी को पेन्शन मंजूर

किये जाने के बारे में कार्यवाही की जाय। मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी

उक्त पेन्शन पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रान्चकोषागारसे लेना

चाहता हूँ/चाहती हूँ/चाहते हैं/चाहती हैं।

3. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी राजनितिक अधिकारी/संसद/राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सदस्य द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूँ:—

(1) तीन नमूना हस्ताक्षर।

(2) पासपोर्ट साइज के तीन नवीनतम फोटो।

4. मेरा वर्तमान पता

मेरा स्थायी पता

5. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:—

(एक) मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी

राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुने हुए पद अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद अथवा किसी क्षेत्र के प्रशासक के पद पर कार्य नहीं कर रहा/रही/हूँ/हैं।

(दो) मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी..... राज्य सभा अथवा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् अथवा दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य नहीं हूँ/है।

(तीन) मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी...। स्थानीय प्राधिकरण के अधीन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार ग्रथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व के अधीन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम का वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हूँ/हैं/ग्रथवा मुझे/उन्हें ऐसी सरकार या नियम या स्थानीय प्राधिकरण से कोई परिश्रमिक पाने का अन्य किसी प्रकार का कोई हक् नहीं है।

कोई राजनैतिक/सैनिक/सिविल पेन्शन प्राप्त नहीं कर रहा। रही/रहे/हूँ हैं।

(पांच) मैं/श्रीमती/श्री/कुमारी..... के पद पर कार्य कर रहे/रही हूँ/हैं/अथवा..... का/की सदस्य हूँ/है/अथवा..... में नियुक्त हूँ/है, और मुझे/श्री/श्रीमती कुमारी..... को..... रूपये प्रतिमास कुल पारिश्रमिक मिला है।

(क्ष:) मुझे/श्री/श्रीमती/कुमारी..... को..... से राजनीतिक/सैनिक/सिविल वेन्शन के रूप में..... रूपये प्राप्त होते हैं।

(सक्षम अधिकारी से एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये)

(सात) मुझे/भ्री/श्रामिती/कुमारी..... की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है क्योंकि..... /यह आवेदन वर्तोर वारिस केवल बकाया राशि के लिये है।

(आठ) पेन्शन पाने वाले का पहिचान चिन्ह..... - १५ कड़ १५ लिए तार्क अवधि के लिए १५ लिए

.....
.....
.....

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
(साफ-साफ अक्षरों में) निम्नलिखित अवधि में राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे/रही—

..... से तक
..... से तक
..... से तक

— जी हे चिरकालान्तर प्रणाली प्राप्त करने
सचिव,

राजस्थान विधान सभा सचिवालय ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 (साफ-साफ अक्षरों में) निम्नलिखित अवधि में लोक सभा के/की सदस्य रहे/रही:—

.....से.....तक
से.....तक
से.....तक
से.....तक

सीनियर टैब्ल ऑफिसर
 लोक सभा सचिवालय।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 (साफ-साफ अक्षरों में) निम्नलिखित अवधि में राज्य सभा के/को सदस्य रहे/रही:—

.....से.....तक
से.....तक
से.....तक
से.....तक

सीनियर टैब्ल ऑफिसर
 राज्य सभा सचिवालय।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या : जयपुर, दिनांक 19

अगला ग्रादेश होने तक और प्रत्येक महीने की समाप्ति पर श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 को अथवा नियम (2) के परन्तुक के अन्तर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी.....को.....रूपये की धनराशि
 का भुगतान करें, जो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 संशोधित के अधीन
 पेंशन की राशि है और जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

अधिनियम की धारा 4-क के अधीन देय पेंशन रूपये
 अधिनियम की धारा 4-क(ख) के अधीन प्राप्त हो रही पारिश्रमिक/पेंशन की राशि घटाइये रूपये
 देय पेंशन की शुद्ध राशि रूपये ।

दिनांक से भुगतान आरम्भ होना चाहिए/तथा तारीख तक का भुगतान
 किया जावे।

(हस्ताक्षर)

सचिव,
 राजस्थान विधान सभा।

घोषणा

(नियम 2 के परन्तुक के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने प्रथम तथा तत्पश्चात् वर्ष में दो दफा अर्थात् मई और नवम्बर के माह में पेंशन बिल के साथ लगाने के लिये)

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:—

मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी दिनांक 14-12-1976 या
..... (द्वितीय या पश्चात्वर्ती घोषणाओं की दशा में यहाँ अन्तिम घोषणा की तारीख लिखें) से
..... रूपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक/वेतन पर से तक
..... के रूप में निर्वाचित/नामनिर्दिष्ट/नियुक्त हुआ/हुए/हुई हूँ/हैं।

2. मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति वे: पद पर अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी मंघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हूँ, अथवा

3. मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूँ, अथवा

4. मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंतणाधीन किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूँ। अथवा मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से पारिश्रमिक पाने का/की अन्यथा रूप से हकडार नहीं हूँ, अथवा

5. मुझे/श्री/श्रीमती/कुमारी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंतणाधीन किसी निगम से कोई पेंशन प्राप्त नहीं होती है।

अथवा

(i) मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी के पद पर कार्य कर रहा/रही हूँ अथवा
..... का सदस्य हूँ अथवा *मैं
..... के रूप में नियुक्त हूँ और मुझे रूपये प्रतिमास कुल पारिश्रमिक मिलता है।

अथवा

(ii) मुझे/श्री/श्रीमती/कुमारी को स्थान से पेंशन के रूप में रूपये प्राप्त होते हैं।

(हस्ताक्षर)

दिनांक

पता:-

नमूना हस्ताक्षर

(1)

(2)

(3)

फोटो (3) प्रमाणित

(1)

(2)

(3)

सदस्य का नाम :

जन्म तिथि:

पता:

पिन कोड नं.

पेन कार्ड नम्बर :	
मोबाईल नं. :	दूरभाष नम्बर मय एसटीडी
बैंक खाता संख्या :	आई.एफ एस कोड :
बैंक का नाम :	शाखा का नाम :
पति/पत्नि का नाम :	जन्मतिथि :

नोट : जन्म तिथि के लिये निम्न दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न करें।

1. पेन कार्ड की छाया प्रति।

2. हाईस्कूल/सैकण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।

3. पासपोर्ट की फोटो प्रतिलिपि।

4. यदि राजकीय सेवा से निवृत हुये तो पी.पी.ओ. की प्रति।

5. यदि उक्त चारों में से कोई दस्तावेज आपके पास नहीं हो तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जन्म तिथि प्रमाण पत्र।

उक्त दस्तावेजों में से कोई एक इस सचिवालय को प्राप्त होने पर ही पेंशन प्रारम्भ की जा सकेगी।